

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 1473/11-सी-FP/UP/Others/49462/2020, लखनऊ, दिनांक: दिसम्बर 14, 2023

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जनपद आगरा में यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) आगरा द्वारा बॉईपुर एवं शहर रेंज के अन्तर्गत डी०एस०टी०पी० के निर्माण हेतु बॉईपुर वन ब्लाक, बाबरपुर वन ब्लाक, मऊ वन ब्लाक एवं ताज वन ब्लाक की 0.9024 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं० FP/UP/Others/49462/2020)

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्र-8बी/यू०पी०/०९/९४/2023/एफ०सी०/371 दिनांक 13.10.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ने अपने पत्रांक-2195/14-1, दि० 13.12.2023 द्वारा ऑनलाईन प्रेषित किया गया है।

अतः वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा द्वारा ऑनलाईन अपलोड कर प्रेषित की गयी बिन्दुवार आपत्ति का निराकरण इस अनुरोध के प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 1473 /11-सी FP/UP/Others/49462/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, आगरा।
- 3- परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र०, जल निगम ग्रामीण आगरा।

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 1473 /11-सी FP/UP/Others/49462/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।